रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2013/कार्तिक 9, 1935
No. 284] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2013/KARTIKA 9, 1935

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2013

विधिक शिक्षा नियम, 2008 के खंड 28, अनुसूची–3, नियम–11 के संबंध में रिपोर्ट

संकल्प सं. 231/2013.––भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने संकल्प सं0 182/2013 द्वारा विधिक शिक्षा नियम, 2008 के खंड 28, अनुसूची–3, नियम–11 के संबंध में माननीय सदस्य श्री एस. प्रबाकरन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

इस संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संकल्प के साथ तारीख 28.07.2013 की रिपोर्ट की प्रति प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित "असाधारण, भाग–III, खंड 4, सं. 251, नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर, 28, 2013" द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। तत्पश्चात, माननीय सदस्य ने कुछ संशोधन किए हैं और इस रिपोर्ट के पहले पृष्ठ की तीन पंक्तियों को हटाया है।

उन्होंने रिपोर्ट के पहले पृष्ठ के पैरा–3 में **"एकल पंक्ति"** के स्थान पर **"लाइमाईन"** शब्द प्रतिस्थापित किया है और उन्होंने आगे तीन पंक्तियों को हटा दिया है जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौति देने वाले याची द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई आख्यापक आदेश पारित नहीं किया है।"

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, विधिक शिक्षा नियम, 2008 के खंड 28, अनुसूची–3, नियम–11 के संबंध में माननीय सदस्य श्री एस0 प्रबाकरन द्वारा प्रस्तुत तारीख 28.09.2013 की उपांतरित रिपोर्ट पर तारीख 29 सितम्बर, 2013 को हुई बैठक में मद सं0 331/2013 के तहत विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:–

संकल्प सं. 231/2013

परिषद् ने सचिव के टिप्पण और विधिक शिक्षा नियम, 2008 के खंड 28, अनुसूची–3, नियम–11 के संबंध में माननीय सदस्य श्री एस0 प्रबाकरन द्वारा प्रस्तुत उपांतरित रिपोर्ट पर विचार किया है। माननीय सदस्य श्री एस. प्रबाकरन द्वारा प्रस्तुत उपांतरित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और कार्यालय को निदेश दिया है कि यह उपांतरित रिपोर्ट भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए। संकल्प के साथ तारीख 28.07.2013 की पूर्वतर रिपोर्ट

जिसे भारत के राजपत्र ''असाधारण, भाग–III, खंड 4, सं. 251, नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर, 28, 2013'' में प्रकाशित किया गया था, वापस ली जाती है।

उपांतरित रिपोर्ट तारीख 28.09.2013 नीचे दी गई है:

महोदय,

विधिक शिक्षा नियम, 2008 के अनुसार, खंड 28 (विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु के संबंध में विधिक शिक्षा नियम) को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई है जिनमें न्यायालयों द्वारा प्रवेश लेने के लिए अंतरिम आदेश दिए गए हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया है और टी. पी. को टी. सी. से अनुज्ञात किया गया है किंतु यह अभी भी लंबित है । तामील पूरी नहीं हुई है क्योंकि प्रत्यर्थियों के पते नहीं मिले थे । इसे परिषद् के समक्ष रखा गया है जिसने उनके नाम राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का विनिश्चय किया है । प्रकाशन का व्यय बहुत अधिक है ।

इसी दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय ने एम. संतोष एंटोनी वरीद (रिट याचिका सं. 14877/2009) के मामले में एक विस्तृत आदेश दिया है और व्यथित याची ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका सं. 13846/2010 फाइल की थी और उच्चतम न्यायालय ने लाइमाईन में उसे खारिज कर दिया है । तारीख 11.03.2013 का आदेश निम्नानुसार है :–

''काउंसेल को सुने जाने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश किया :–

खारिज'' ।

वैसे ही एक मामले में, **अंकित भारद्वाज** बनाम **भारतीय विधिज्ञ परिषद्** 12528/2011 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार हमारे नियम को अपास्त कर दिया है :–

''हम यह मानते हैं कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची 3 के खंड 28 के उपबंध भारतीय विधिज्ञ परिषद् की विधायी सक्षमता से परे हैं । खंड 28, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7(1)(ज) और (झ), 24 (1)(ग)(iii) और (iiiक) या धारा 49(1)(कच), (कछ) और (घ) के उपबंधों के अधिकारातीत है । वैसे भी, नियम मनमाना है क्योंकि यह विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु विहित करके विद्यार्थियों के एक वर्ग को दो कृत्रिम और असंगत वर्गों में विभाजित करके एक पक्षपातपूर्ण वर्गीकरण की शुरुआत करता है ।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएं अनुज्ञात की जाती हैं । ऐसे याची, जिन्हें अंतरिम आदेश के आधार पर प्रवेश दिया गया है, चलते रहेंगे और उनका प्रवेश उस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि वे अधिकतम आयु के मानदंड को पूरा करते थे ।''

नीचे दिए गए मामलों में वैसा ही आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है:–

1. नितन गुप्ता *बनाम* भारतीय विधिज्ञ परिषद् 5258/2010 ;
2. राजन शर्मा *बनाम* भारतीय विधिज्ञ परिषद् 20966/2010 ;
3. जनक राज *बनाम* भारतीय विधिज्ञ परिषद् 12097/2009 ; और
4. लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) हरजिन्द्रर सिंह *बनाम* पंजाब और हरियाणा राज्य 11947/2009

बी. एड.,सी. ए. सी. एस. और एम. बी. ए. जैसे अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की ऊपरी आयु सीमा नहीं होती है, यहां तक कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कुछ राज्यों में ऊपरी आयु सीमा नहीं है । प्रवेश लेने की आयु का प्रतिबंध मूल अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है ।

अनुच्छेद 19 (1)(छ) प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है ।

हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एम.सी.आई. (भारतीय चिकित्सा परिषद्) द्वारा प्रस्तावित एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन था ।

अविवादित तथ्य ये हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिवक्ता अधिनियम') की धारा 4 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है । यह विधिक शिक्षा तथा अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए विधि में डिग्री की मान्यता के मानक अधिकथित करने के लिए सक्षम है । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उन कृत्यों को अधिकथित करती है जिनके अंतर्गत विधिक शिक्षा का संवर्धन करना तथा भारत में विश्वविद्यालयों तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों के साथ परामर्श करके ऐसी शिक्षा के मानकों को अधिकथित करना आता है । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 15 और धारा 49 अपने सभी कृत्यों को करने के लिए नियम बनाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सशक्त करती है ।

14.09.2008 को, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने संकल्प सं. 110/2008 पारित किया और नियम बनाए थे । मूल रूप से नियम विधिक शिक्षा और अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशन के प्रयोजन के लिए विधि में उपाधि की मान्यता के मानक तथा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7(1) (ज) और (झ), धारा 24 (1)(ग)(iii) और (iiiक) धारा 49 (1) (कच) (कछ) और (घ) में अधीन विधि में उसकी उपाधि को मान्यता देने के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के मानक विहित करने के लिए बनाए गए थे ।

'इन नियमों' के साथ संलग्न अनुसूची 3 किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सहबद्धता वाले विधि पाठ्यक्रमों के चलाने के लिए अनुज्ञा लागू करने के संबंध में किसी विधिक शिक्षा केंद्र में अपेक्षित न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विहित करती है । अनुसूची 3 का खंड 28 प्रवेश के संबंध में आयु से संबंधित है और 3 वर्षीय और 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा नियत करता है । खंड निम्नवत रूप में है :–

"28. प्रवेश पाने के लिए आयु –

(क) इस निमित्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित शर्त तथा अपेक्षित वृत्तिक प्रतिबद्धता की उच्च डिग्री के अधीन रहते हुए, एकीकृत बेचेलर ऑफ लॉ डिग्री प्रोग्राम विधा में प्रवेश पाने के लिए अधिकतम आयु सामान्य प्रवर्ग के आवेदकों की दशा में इक्कीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के आवेदकों की दशा में बाईस वर्ष तक सीमित है ।

(ख) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित शर्त तथा विलंब से विधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले आवेदकों की साधारण सामाजिक परिवेश के अधीन रहते हुए विधि में त्रिवर्षीय बेचेलर डिग्री की विधा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु तीस वर्ष तक सीमित है जिसमें विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वह अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या किसी अन्य पिछड़े समुदाय के आवेदक के लिए और पांच वर्ष की छूट दे सकता है ।

खंड 28(क) का मात्र परिशीलन यह दर्शाता है कि एकीकृत बेचेलर ऑफ लॉ डिग्री प्रोग्राम (जो 5 वर्ष की अवधि का है) की विधा में प्रवेश पाने के लिए अधिकतम आयु सामान्य प्रवर्ग के आवेदकों की दशा में 20 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के अभ्यर्थियों की दशा में 22 वर्ष तक सीमित है । इसी प्रकार, खंड 28(ख) सामान्य प्रवर्ग के आवेदकों के संबंध में 30 वर्ष की सीमा को विधि में तीन वर्षीय बेचलर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा के रूप में विहित करता है । तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के आवेदकों की दशा में, संबद्ध विश्वविद्यालय को 5 वर्ष की छूट देने का अधिकार है ।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद् 45 वर्ष की अधिक आयु के किसी व्यक्ति को एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशन से वर्जित करने वाले नियम को बनाने के लिए सक्षम है, इस पर *भारतीय विधिक सहायता तथा सलाह परिषद् और अन्य* बनाम *भारतीय विधिज्ञ परिषद् तथा अन्य* (1995) 1, एस. सी. सी. 732 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था । निर्णय के पैरा 9 में, माननीय उच्चतम न्यायालय के महामहिम द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा कोई नियम, जो पूर्व अभ्यावेशन प्रक्रम पर लागू होता है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 (1) के खंड (कज) से रक्षित नहीं हो सकता । निर्णय का पैरा 8 जो इस मुद्दे से संबंधित है, निम्नानुसार है :–

"8. नया जोड़ा गया नियम उन व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करने के लिए है जिन्होंने संबद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा उस रूप में अभ्यावेशित होने से एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशन के लिए आवेदन की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है जबकि अधिनियम की धारा 24 पूर्ण इक्कीस वर्ष के रूप में अभ्यावेशन के लिए अधिकतम आयु विहित करती है, अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु विहित करने के लिए कहा जा सकता है । चूंकि अधिनियम इस प्रश्न पर मूक है, भारतीय विधिज्ञ परिषद् से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी नियम बनाने की शक्ति का आश्रय ले । अधिनियम की धारा 49(1) के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियम सात भागों में हैं, प्रत्येक भाग में उसके अपने अध्याय हैं । भाग – 6 का शीर्षक "अधिवक्ताओं को शासित करने वाले नियम" है और उक्त भाग में तीन अध्याय हैं । अध्याय – 1 में ज्येष्ठ अधिवक्ताओं पर निर्बंधन के बारे में उल्लेख हैं और अधिनियम की धारा 16(3) तथा 49(1)(छ) से संबंधित है । अध्याय – 2 वृत्तिक आचरण तथा शिष्टाचार के मानकों को अधिकथित करता है और परंतुक के साथ पठित धारा 49(1)(ग) से संबंधित है तथा अध्याय–3 "व्यवसाय करने के अधिकार की शर्तें" से संबंधित है और अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (कज) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया जाना कथित है । यह खंड निम्नानुसार है :–

"(कज) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अधिवक्ता को व्यवसाय करने का अधिकार होगा और वे परिस्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए समझा जाएगा ;"

उक्त खंड की स्पष्ट भाषा से हमें यह साफ दिखाई देता है कि उक्त उपबंध के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् ऐसी "शर्तें" अधिकथित कर सकती है जिनके अधीन रहते हुए "किसी अधिवक्ता" को व्यवसाय करने का अधिकार होगा । ये शर्तें जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिकथित कर सकती है । किसी अधिवक्ता अर्थात् किसी ऐसे व्यक्ति को लागू होती है जो संबद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता के रूप में पहले ही अभ्यावेशित किया जा चुका है । वे शर्तें जिन्हें विहित किया जा सकता है, पश्च अभ्यावेशन प्रक्रम पर अवश्य लागू होनी चाहिएं । चूंकि उनसे यह प्रत्याशा की जाती है कि वे व्यवसाय के अधिकार से संबंधित हैं । अतः, वे पूर्व अभ्यावेशन प्रक्रम पर लागू नहीं हो सकतीं । इस आक्षेपित नियम के अनुसार, उन व्यक्तियों का प्रवेश जिन्होंने अभ्यावेशन के लिए आवेदन की तारीख को 45 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वर्जित किया जाना ईप्सित है। यह नियम पूर्व अभ्यावेशन प्रक्रम पर स्पष्टतया लागू होता है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 49(1) के खंड (कज) से रक्षित नहीं हो सकता । उक्त खंड के अधीन किसी अधिवक्ता को, उसके व्यवसाय करने के अधिकार के संबंध में, लागू शर्तें अधिकथित की जा सकती हैं और यदि अधिकथित कर दी जाती हैं तो उसे इन शर्तों के अधीन रहते हुए अपना अधिकार का प्रयोग करना चाहिए । परंतु उक्त खंड की भाषा व्यवसाय में प्रवेश करने की शर्तें अधिकथित करने के बारे में अनुज्ञा नहीं देती है । अतः, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अधिनियम की धारा 49(1) का खंड (कज) उन व्यक्तियों को वर्जित करने वाला नियम बनाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सशक्त नहीं

करता जिन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशन की तारीख से आयु के 45 वर्ष पूरे कर लिए हैं । अतः आक्षेपित नियम उक्त उपबंध का अधिकारातीत है ।"

इन नियमों से संलग्न अनुसूची–3 में आने वाले प्रवेश लेने के लिए आयु से संबंधित आक्षेपित खंड 28 अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7(1)(ज) और (झ) तथा 24(1)(ग)(iii) और (iiiक), धारा 49(1)(कच), (कछ) और (घ) के अधीन बनाया गया है । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कृत्य से संबंधित है और खंड 7(1)(ज) तथा (छ) केवल भारतीय विधिज्ञ परिषद् के ऐसे कृत्यों से संबंधित है जिनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत में विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके विधिक शिक्षा को संवर्धित करना तथा ऐसी शिक्षा के मानक अधिकथित करना और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी विधि में डिग्री अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशन के लिए अर्हता होगी । अतः, यह खंड एलएल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आयु संबंधी खंड 28 जैसे नियमों में उपबंधों को समाविष्ट करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सशक्त नहीं बनाएगा । इसी प्रकार, धारा 24(1)(ग) का संबंध ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य पंजिका पर अधिवक्ता के रूप में प्रवेश दिया जा सके । इसे प्रवेश लेने के लिए आयु से कुछ लेना देना नहीं है और उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि वह एलएल. बी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम या एलएल.बी. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए अधिकतम आयु विहित करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् को शक्ति प्रदान करता है ।

मैं यह पाता हूं कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची–3 के खंड 28 के उपबंध भारतीय विधिज्ञ परिषद् की विधायी सक्षमता से परे हैं । खंड 28 अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7(1)(ज) और (झ) तथा 24(1)(ग)(iii) और (iiiक) या धारा 49(1)(कच),(कछ) तथा (छ) के उपबंधों के अधिकारातीत है। वैसे भी, नियम मनमाना है क्योंकि यह विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा विहित करके छात्र के एक वर्ग को दो कृत्रिम और असंगत वर्गों में विभाजित करके पक्षपात वर्गीकरण की शुरुआत करता है ।

कुछ व्यक्तियों ने, तो 40 या 45 वर्ष से अधिक आयु पूरी करने के पश्चात् भी डिग्री को पूरा किया और अनेक राज्य विधिज्ञ परिषदों में अभ्यावेशित करवाया है और उनमें से बहुत से व्यक्ति अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा में बैठे और व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया । ऐसी परिस्थितियों में, उपरोक्त नियम में बहुत अधिक संदिग्धता और विधिक शिक्षा नियम, 2008 (संक्षेप में, 'नियम'), जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाया गया है, से संलग्न अनुसूची–3 के खंड 28 को हटाना अधिकारातीत, असांविधानिक तथा मनमाना है, और इसके अतिरिक्त, खंड 28 पूर्ण रूप से न केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है ।

सम्यक् विचार–विमर्श के पश्चात् बहुत राज्यों के वृहतर हित में, ये राय बनी है, विधिक शिक्षा नियम, 2008 का नियम 11 खंड 28, अनुसूची – 3 अधिकारातीत है, असांविधानिक तथा न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसी परिस्थितियों में, व्यापक पहलू और पूर्वोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विधिक शिक्षा नियम, 2008 के उक्त नियम 11, अनुसूची 3, खंड 28 को इसके द्वारा वापस लिया जाता है ।

जे. आर. शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/96/13]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2013

Report regarding Clause-28, Schedule- III, Rule-11 of the Rules of Legal Education-2008.

Resolation No. 231/2013.—The Bar Council of India vide Resolution No. 182/2013 accepted the report submitted by the Hon'ble Member, Mr. S. Prabakaran in regard to Clause 28, Schedule-III, Rule-11 of the Rules of Legal Education-2008.

A copy of report dated 28. 7. 2013 along with Resolution of the Bar Council of India in this regard has been published in the Gazette of India vide "Extraordinary, Part-III, Section-4, Published by Authority, No. 251, New Delhi, Saturday, September 28, 2013. Thereafter Hon'ble Member has made few corrections and deleted three lines of the first page of this report:

He has substituted "**limine**", word in place of "**single line**" in the report in Para-3 of first page and he has further deleted three lines which are reproduced below :

"The Hon'ble Supreme Court although dismissed the writ petitions filled by the petitioner challenging the order passed by Madras High Court, but, Hon'ble Supreme Court has not passed any speaking order."

The Bar Council of India at its Meeting held on 29th September, 2013 vide item No. 331/2013 considered the modified report dated 28.9.2013 submitted by Hon'ble Member, Mr. S. Prabakaran in regard to Clause-28, Schedule-III, Rule-11 of the Rules of Legal Education-2008 and passed the following Resolution :—

Resolution No. 231/2013

Council has considered the Secretary's Note as well as modified report submitted by the Hon'ble Member, Mr. S. Prabakaran in regard to Clause-28, Schedule-III, Rule-11 of the Rules of Legal Education-2008. The modified report submitted by Hon'ble Member, Mr. S. Prabakaran is accepted and office is directed that this modified report be Gazetted in Gazette of India. Earlier report dated 28.7.2013 along with resolution which was published in Gazette of India vide: Extraordinary Part-III, Section 4, September 28, 2013 stands withdrawn.

The modified report dated 28.9.2013 is given hereunder :—

Sir,

As per Legal Education Rules-2008, Clause-28 (Rule of the Legal Education Rules regarding maximum age for admission into law courses) has been challenged before various High Courts wherein interim order to take admissions has been given by the Courts and the same has been filed before the Supreme Court and the T. P. had been allowed as T. C. But it is still pending.

The service has not been completed because the Respondents' addresses were not found. The same had been placed before the Council which decided to publish their names in the National Newspaper. In the publication, expenditure is too high.

In the meanwhile, the Madras High Court has given a detailed order in the matter of M. Santosh Antony Vareed (W. P. No. 14877/2009) and the aggrieved petitioner had filed the SLP No.13846/2010 against the said order before the Supreme Court and the Supreme Court has dismissed in limine. The order dated 11.03.2013 :—

"Upon hearing council, the court made the following Order: - Dismissed."

In a similar matter, in Ankit Bhardwaj Vs. Bar Council of India 12528/2011. Punjab and Haryana High Court has set aside our rule as follows: -

"We find that the provisions of Clause-28 of Schedule-III appended to the Rules are beyond the legislative competence of the Bar Council of India. Clause-28 ultra vires the provisions of Section 7(1)(h) and (i), 24(1)(c)(ii) and (iiia) or Section 49(1)(af), (ag) and (d) of the Advocates Act. Even otherwise, the Rule is arbitrary as it introduces and invidious classification by dividing one Class of student into two artificial and irrational classes by prescribing the maximum age for admission to law courses.

As a sequel to the above discussion, the writ petitions are allowed. The petitioners who have been admitted on the basis of the interim order would continue and their admission should not be cancelled on the ground that they did not fulfil the criteria of maximum age."

Similar order has been passed by the Hon'ble Court in the matters below :—

1. Nittan Gupta Vs. Bar Council of India 5258/2010;
2. Rajan Sharma Vs. Bar Council of India 20966/2010;
3. Janaka Raj Vs. Bar Council of India 12097/2009; and
4. Lt. Col. (Retd.) Harjinder Singh Vs. State of Punjab and Haryana 11947/2009.

There are other professional courses such as B. Ed., C. A., C. S. and M. B. A., there is no upper age limit to take admission in the professional courses even in the medical courses some of the states do not have upper age limit. Restriction of the age to take admission violates the fundamental right, Article-19 of the Constitution of India.

Article-19(1)(g) give fundamental right to every citizen to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business.

Recently, the Hon'ble Supreme Court held that National Eligibility-cum-entrance Test for admission to M. B. B. S. And B. D. S. Course proposed by MCI was in contravention of Article-19(1)(g).

The undisputed facts are that the Bar Council of India is a statutory body constituted under Section-4 of the Advocates Act, 1961 (for brevity, 'the Advocates Act'). It is competent to lay down the standards of legal education and recognition of the degree in law for admission as an advocate. Section-7 of the Advocates Act lays down the functions of the Bar Council of India which includes Promotion of legal education and to lay down standards of such education in consultation with the Universities in India and the

State Bar Councils. Sections 15 and 49 of the Advocates Act further empower the Bar Council of India to frame rules for carrying out all its functions.

On 14.09.2008, the Bar Council of India passed Resolution No. 110/2008 and formulated 'the Rules'. The Rules have been basically formulated to prescribe the standards of legal education and recognition of degrees in law for the

purpose of enrolment as advocate and inspection of Universities for recognizing its degree in law under Section 7(1)(h) and (i), 24(1)(c)(iii) and (iiia), 49(1)(af), (ag) and (d) of the Advocates Act.

Schedule-III appended to 'the rules' prescribes the minimum infrastructural facilities required in a Centre of Legal Education for applying permission to run law courses with affiliation from an Indian University Clause-28 of Schedule-III relates to age on admission and stipulates the age limit for admission in 3 year and 5 year law courses. It reads as under :—

"28. Age on admission :—

(a) Subject to the condition stipulated by a University on this behalf and the high degree of professional commitment required, the maximum age for seeking admission into a stream of integrated Bachelor of law degree programmes is limited to twenty years in case of general category of applicants and to twenty two years in case of applicants from SC, ST and other Backward communities.

(b) Subject to the condition stipulated by a University, and the general social condition of the applicants seeking legal education belatedly, the maximum age for seeking admission into a stream of Three year Bachelor Degree Course in Law, is limited to thirty years with right of the University to give concession of 5 further year for the applicant belonging to SC or ST or any other Backward Community."

A bare perusal of Clause-28(a) shows that the maximum age for seeking admission into a stream of integrated Bachelor of Law degree programme (which is of 5 years duration) the age has been limited to 20 years in case of General category applicants and 22 years in case of applicants belonging to SC, ST and Other Backward Communities. Similarly, Clause-28(b) prescribes a cap of 30 years in respect of General category applicants as the maximum age limit for seeking admission into a 3 years Bachelor Degree Course in Law. However, in the case of SC, ST and Other Backward Community applicants, the concerned University has the right to give a concession of 5 years.

The question arises, as to whether the Bar Council of India is competent to frame the Rule barring a person above the age of 45 years from enrolment as an Advocate was considered by Hon'ble the Supreme Court in the case of Indian Council of Legal Aid and advice and others Vs. Bar Council of India and another (1995) 1 SCC 732. In Para 9 of the Judgement, it has been held by their Lordships of Hon'ble the Supreme Court that a Rule which operates at pre-enrolment stage cannot receive the shelter of Clause (ah) of Section 49(1) of the Advocates Act. Para-8 of the Judgement which deals with the issue reads as under:—

"8. The newly added rule seeks to bar the entry of persons who have completed the age of 45 years on the date of application for enrolment as an advocate from being enrolled as such by the State Bar Council concerned. While Section-24 of the Act prescribes the minimum age for enrolment as twenty-one years complete, there is no provision in the act which can be said to prescribe the maximum age for entry into the profession. Since the Act is silent on this point the Bar Council of India was required to resort to its rule-making power. The rules made by the Bar Council of India under Section 49(1) of the Act are in seven parts, each part having its own chapters. Part-VI is entitled "rules governing Advocates" and the said part has three chapters. Chapter-I sets out the restrictions on senior advocates and is relatable to Sections 16(3) and 49(1)(g) of the Act, Chapter-II lays down the standards of professional conduct and etiquette and is relatable to Section 49(1)(c) read with the proviso thereto and Chapter-III deals with "Conditions for right to practice" and is stated to be made in exercise of power under clause (ah) of sub-section (1) of Section-49 of the Act. That clause reads as under :—

"(ah) the conditions subject to which an advocate shall have the right to practice and the circumstances under which a person shall be deemed to practice as an advocate in a court;"

On the plain language of the said clause it seems clear to us that under the said provision the Bar Council of India can lay down the 'conditions' subject to which "an advocate" shall have the right to practice. These conditions which the Bar Council of India can lay down are applicable to an advocate i.e. a person who has already been enrolled as an advocate by the State Bar council concerned. The conditions which can be prescribed must apply at the post-enrolment stage since they are expected to relate to the right to practice. They can, therefore, not operate at the pre-enrolment stage. By the impugned rule, the entry of those who have completed 45 years at the date of application for enrolment is sought to be barred. The rule clearly operates at the pre-enrolment stage and cannot, therefore, receive the shelter of clause (ah) of Section-49(1) of the Act. Under the said clause conditions applicable to an advocate touching his right to practice cab be laid down, and if laid down he must exercise his right subject to those conditions. But the language of the said clause does not permit laying down of conditions for entry into the profession. We have, therefore, no hesitation in coming to the conclusion that clause (ah) of Section 49(1) of the Act does not empower the Bar Council of India to frame a rule barring persons who have completed 45 years of age from the date of enrolment as an advocate. The impugned rule is, therefore, ultra vires the said provision."

The impugned Clause-28 dealing with the age on admission occurring in Schedule-III appended to the Rules have been framed under Section –7(1)(h) and (i) and 24(1)(c)(iii) and (iiia), 49(1)(af), (ag) and (d) of the Advocates Act. Section-7 of the Advocates Act deals with the function of the Bar Council of India and Clause-7(1)(h) and (i) only deals with such functions of the bar Council of India, which are aimed at promoting to legal education and to lay down standards of such education in consultation with the Universities in India imparting such education and to recognize the Universities whose degree in law shall be a qualification for enrolment as an Advocate. Therefore, this clause would not arm the Bar Council of India to incorporate the provisions in the Rules like Clause-28 concerning the age on admission to LL.B. Course. Likewise, Section-24(1)(c) deals with person who may be admitted as an Advocate on a State Roll. It has got nothing to do with the age on admission and cannot be construed to have conferred power on the Bar Council of India to prescribe the maximum age for the purposes of admission to LL.B. five years' Course or LL.B. three years' Course.

I find that the provisions of Clause-28 of Schedule-III appended to the Rules are beyond the legislative competence of the Bar Council of India. Clause-28 ultra vires the provision of Section 7(1)(h) and (i) and 24(1)(c)(iii) and (iiia) or Section 49(1)(af), (ag) and (d) of the Advocates Act. Even otherwise, the Rule is arbitrary as it introduces an invidious classification by dividing one Class of student into two artificial and irrational Classes by prescribing the maximum age for admission to law courses.

Some of the persons, even after completed the age of more than 40 or 45 years completed the degree and enrolled in number of State Bar Council and many of them appeared in the All India Bar Exam and obtained Certificate of Practice. In such a circumstances, lot of ambiguity in the above Rule and striking down Clause-28 of Schedule-III appended to the Rules of Legal Education, 2008 (for brevity, 'the Rules'), framed by the Bar Council of India being ultra vires, unconstitutional and arbitrary and apart, the Clause-28 is total violation of not only fundamental rights but also violation of the principle of natural justice.

In the larger interest in many of the States after due deliberations, the opinions has been formed, the Clause-28, Schedule-III, Rule-11 of the Rules of legal Education-2008 is ultra vires, unconstitutional and against the principles of the natural justice, in such a circumstances keeping in view the broader aspect and aforesaid reasons, the said Clause-28, Schedule-III, Rule-11 of the Rules of legal Education-2008 is hereby withdrawn.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./96/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.